

<u>प्रेस नोट दिनांक 20.07.2021</u> <u>थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव</u>

पुलिस मुठभेड़ में 06 ट्रक लुटेरे गिरफ्तार, दो लूटे हुए ट्रक बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी / सर्विलांस टीम, थाना हसनगंज, थाना औरास एवं थाना अजगैन की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में 06 ट्रक लुटेरों को गिरफ्तार किया गया तथा लूटे गये 02 अदद ट्रक (अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रूपये), 03 तमंचा 315 बोर मय 05 जिंदा व 04 खोखा कारतूस, 01 तमंचा 12 बोर मय 05 जिंदा कारतूस व 03 खोखा कारतूस, 02 अदद लूटे गये मोबाइल व 3100 रु0 लूटी हुई धनराशि बरामद की गई।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 19.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक हसनगंज अजयराज वर्मा को प्रभारी निरीक्षक औरास द्वारा जरिये वायरलेस सूचना दी गई कि कुछ बदमाश रात मे लूटा हुआ ट्रक ले जा रहे हैं और उसके पीछे स्कार्पियो गाड़ी के साथ मोहान से अजगैन की ओर आ रहे हैं। इस सूचना प्रभारी निरीक्षक हसनगंज मय हमराह फोर्स व एसओजी प्रभारी/थानाध्यक्ष दही उ0नि0 गौरव कुमार मय एसओजी/सर्विलांस टीम व प्रभारी निरीक्षक अजगैन मय हमराह फोर्स के द्वारा अजगैन-हसनगंज बार्डर पर नवई पुलिया केपास घेराबंदी लगा दी गई।तभी एक ट्रक व उसके पीछे एक स्कार्पियो व स्कार्पियो के पीछे प्रभारी निरीक्षक औरास की गाड़ी आते दिखाई दी। पुलिस द्वारा ट्रक व स्कार्पियो को रोकने पर ट्रेक रोड से उतर गया तथा स्कार्पियो दाहिने तरफ नीम के पेड़ से टकरा कर रुक गई। बदमाशों द्वारा गाड़ी से उतरकर पुलिस पर जान से मारने की नियत से अंधाधुन्ध फायरिंग की जाने लगी। जिसमें का0 कमलेश पाल व एसओजी टीम के रोहित शर्मा के हाथ में गोली लगी। पुलिस द्वारा बदमाशों को घेर कर चेतावनी दी गई आप लोग पुलिस के घेरे में है, आत्मसमर्पण कर दो। इस पर बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में तीन बदमाशों को गोली लग गई, जिससे वे लड़खड़ा कर गिर गये तथा भागते समय घेर कर 06 बदमाशों को पकड़ लिया गया। सभी से नाम पता पूछने पर 1. सौदागर अली पुत्र दिलशाद गाजी उम्र करीब 25 वर्ष ग्राम कोड़राहार थाना सण्डीला जनपद हरदोई 2. रामजी यादव पुत्र राकेश यादव उम्र करीब 23 वर्ष नि0 मदारपुर थाना अतरौली जनपद हरदोई 3. मो0 मुस्ताक अली पुत्र दिलावर अली उम्र करीब 22 वर्ष नि0 गोपालखेड़ा थाना अतरौली जनपद हरदोई 4. शादाब गाजी पुत्र कल्लू गाजी उम्र करीब 21 वर्ष नि0 भूड़खेड़ा थाना माल जनपद लखनऊ 5. सलमान अली पुत्र मुसीर अली उम्र करीब 22 वर्ष हुसैननगर थाना माल जनपद लखनऊ 6. रोहित पुत्र श्यामिकशोर नि0 मांझगांव गदौरा थाना सण्डीला जनपद हरदोई बताया गया। सभी बदमाशों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो सभी ने एकराय होकर बताया कि हमलोग ट्रकों को लूटते हैं , आज जो ट्रक नं0 UP 81 CT 1028 हम लोगों से बरामद हुआ है वह ट्रक हमने सण्डीला रोड पर पिपौरी गांव के बार्डर से लूटा था और 3100 रू0 ट्रक ड्राइवर व क्लीनर से बंधक बनाकर लूट कर रास्ते में उतार दिया था। स्कार्पियों नं0 UP 32 CL 0123 हम लोग ट्रक लूटने में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दिनांक 14.05.2021 को मोहान ढाबा से करीब 400-500 मीटर आगे अजगैन की तरफ इसी स्कार्पियो से हम लोगों ने ट्रक नं0 UP 78 FN 7683 को लूटा था, ड्राइवर व क्लीनर को थाना पुरवा में गिरा दिया था। इस ट्रक को मैने उन्नाव आरटीओ ऑफिस के पास खड़ा कर दिया है। उपरोक्त ट्रक व एक मोटरसाइकिल UP 78 DN 3643 को कब्जे में लिया गया। सभी अभियुक्तों की जामातलाशी से 03 तमंचा 315 बोर मय 05 जिंदा व 04 खोखा कारतूस, 01 तमंचा 12 बोर मय 05 जिंदा कारतूस व 03 खोखा कारतूस , 02 अदद लूटे गये मोबाइल व 3100 रु0 लूटी हुई धनराशि बरामद की गई। अभियुक्तगण से बरामद ट्रक नं0 UP 81 CT 1028 मय मेबाइल लूटी गई बरामद धनराशि जो मु0अ0सं0 171/21 धारा 394 भा0दं0वि0 थाना औरास व ट्रक नं0 UP 78 FN 7683 मय मोबाइल जो मु0अ0सं0 196/21 धारा 392 भा0दं0वि0 थाना हसनगंज से संबन्धित है। दोनो अभियोगों में धारा 395/412 भा0दं0वि0 की वृद्धि की जाती है तथा अभियुक्तगण से बरामद तमंचा कारतूस के संबन्ध में धारा 3/25 आयुध अधिनियम व पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करने के संबन्ध में धारा 307 भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

- 1. सौदागर अली पुत्र दिलशाद गाजी उम्र करीब 25 वर्ष ग्राम कोड़राहार थाना सण्डीला जनपद हरदोई
- 2. रामजी यादव पुत्र राकेश यादव उम्र करीब 23 वर्ष नि0 मदारपुर थाना अतरौली जनपद हरदोई
- 3. मो0 मुस्ताक अली पुत्र दिलावर अली उम्र करीब 22 वर्ष नि0 गोपालखेड़ा थाना अतरौली जनपद हरदोई
- 4. शादाब गाजी पुत्र कल्लू गाजी उम्र करीब 21 वर्ष नि0 भूड़खेड़ा थाना माल जनपद लखनऊ
- 5. सलमान अली पुत्र मुसीर अली उम्र करीब 22 वर्ष हुसैननगर थाना माल जनपद लखनऊ
- 6. रोहित पुत्र श्यामिकशोर नि0 मांझगांव गदौरा थाना सण्डीला जनपद हरदोई

बरामदगीः-

- 1. 02 अदद ट्रक, (UP 78 FN 7683 व UP 81 CT 1028)
- 2.03 तमंचा 315 बोर मय 05 जिंदा व 04 खोखा कारतूस,
- 3.01 तमंचा 12 बोर मय 05 जिंदा कारतूस व 03 खोखा कारतूस,
- 4.02 अदद लूटे गये मोबाइल
- 5. 3100 रु0 लूटी हुई धनराशि
- 6.एक अदद मोटरसाइकिल UP 78 DN 3643

गिरफ्तार करने वाली एसओजी/सर्विलांस की टीम

- 1. उ०नि० गौरव कुमार प्रभारी एसओजी/सर्विलांस टीम/थानाध्यक्ष दही
- 2. हे0का0 खैरूल बशर एसओजी
- 3. हे0का0 अब्दुल जब्बार सर्विलांस सेल
- 4. हे0का0 रोहित शर्मा एसओजी
- 5. हे0का0 शमीम खां एसओजी
- 6. का0 राधेश्याम सर्विलांस सेल
- 7. का० अमर सिंह एसओजी
- 8. का० रवी एसओजी

गिरफ्तार करने वाली थाना हसनगंज/थाना अजगैन/थाना औरास टीम

- 1. प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा थाना हसनगंज मय हमराह फोर्स
- 2. प्रभारी निरीक्षक पवन सोनकर थाना अजगैन मय हमराह फोर्स
- 3. प्रभारी निरीक्षक हरप्रसाद अहिरवार थाना औरास मय हमराह फोर्स



प्रेस नोट दिनांक 20.07.2021 थाना अजगैन, जनपद उन्नाव

जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार किया गया तथा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई।

संक्षिप्त विवरणः- आज दिनांक 20.07.2021 को उ0नि0 विमलकान्त गोयल मय हमराह फोर्स द्वारा जिला बदर अपराधी दिनेश राजपूत पुत्र शिवप्यारे राजपूत नि0 ग्राम जन्सार थाना अजगैन जनपद उन्नाव को अभियुक्त के गांव जन्सार से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्त श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के आदेश से दिनांक 05.07.2021 को 06 माह के लिये जिला बदर घोषित किया गया था। अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 231/21 धारा 10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. दिनेश राजपूत पुत्र शिवप्यारे राजपूत नि0 ग्राम जन्सार थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 32 वर्ष

आराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0 231/21 धारा 10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम
- 2. मु0अ0सं0 272/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम
- 3. मु0अ0सं0 303/18 धारा 323/504/506/452 भा0दं0वि0 व 3(1)द, ध एससी/एसटी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. उ०नि० विमलकान्त गोयल
- 2. का0 धर्मेन्द्र प्रजापति
- 3. का० प्रशान्त चौधरी



<u>प्रेस नोट दिनांक 20.07.2021</u> थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव

चोरी की मोटरसाइकिल सहित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल पैशन प्रो बिना नम्बर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- उ0नि0 जगेन्द्र सिंह व उ0नि0 विनोद कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा थाना अचलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 221/21 धारा 41 सीआरपीसी व धारा 379/411 भा0दं0वि0 में प्रकाश में आये अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र गुरूदयाल वर्मा उम्र करीब 38 वर्ष नि0 मो0 अम्बेडकर नगर गदनखेड़ा बाइपास थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को आज दिनांक 20.07.2021 को चोरी की मोटरसाइकिल पैशन प्रो बिना नम्बर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. उमेश कुमार पुत्र गुरुदयाल वर्मा उम्र करीब 38 वर्ष नि0 मो0 अम्बेडकर नगर गदनखेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल पेशन प्रो बिना नम्बर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. उ0नि0 जगेन्द्र सिंह
- 2. उ0नि0 विनोद कुमार
- 3. हे0का0 अजय कुमार सिंह
- 4. का0 प्रशान्त कुमार
- 5. रि0का0 सुनील कुमार



<u>प्रेस नोट दिनांक 20.07.2021</u> थाना मांखी, जनपद उन्नाव

पत्रकार के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार करने वाले चार अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांखी पुलिस द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने वाले चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 17.07.2021 को महेश पुत्र रामेश्वर नि0 ग्राम हंसाखेड़ा थाना मांखी जनपद उन्नाव जो अख्तियारपुर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव में आंगनबाड़ी केन्द्र पर कमरे का निर्माण किया था, जिसके ठेका भानू सिंह चंदेल के पास था। उसका पैसे का लेनदेन शेष रह गया था। भानू सिंह चंदेल का कहना है कि 7000 रू० मेरे शेष हैं तथा महेश का कहना है कि 17000 रु० मेरे शेष हैं जो भानू चन्देल नहीं देते। महेश के परिजनों व भानू चंदेल के मध्य कहासुनी में 1. धीरन्द्र सिंह उर्फ अंशू सिंह पुत्र बबलू सिंह 2. छोटू सिंह पुत्र बब्लू सिंह 3. नरायन सिंह पुत्र अज्ञात 4. बब्लू सिंह पुत्र अज्ञात नि0 कोरारी कला थान मांखी जनपद उन्नाव ने हस्तक्षेप किया तथा धीरेन्द्र एवं भानू में कहासुनी एवं झगड़ा हो गया। वादी श्री भानू सिंह चंदेल नि0 ग्राम सलेमपुर गुमानीखेड़ा थाना मांखी जनपद उन्नाव की तहरीर पर मु0अ०सं० 230/21 धारा 323/504/506/392 भा0दं0वि0 बनाम 1. धीरन्द्र सिंह उर्फ अंशू सिंह पुत्र बबलू सिंह 2. छोटू सिंह पुत्र बब्लू सिंह 3. नरायन सिंह पुत्र अज्ञात 4. बब्लू सिंह पुत्र अज्ञात नि0 कोरारी कला थान मांखी जनपद उन्नाव पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त चारों अभियुक्तों को आज दिनांक 20.07.2021 को उ0नि0 विनोद कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

- 1. धीरन्द्र सिंह उर्फ अंशू सिंह पुत्र बबलू सिंह
- 2. छोटू सिंह पुत्र बब्लू सिंह
- 3. नरायन सिंह पुत्र अज्ञात
- 4. बब्लू सिंह पुत्र अज्ञात नि0 कोरारी कला थान मांखी जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. उ0नि0 विनोद कुमार
- 2. हे0का0 राजेश प्रताप
- 3. हे0का0 महेश यादव
- का० महेन्द्र चौहान



प्रेस नोट दिनांक 20.07.2021 थाना सफीप्र, जनपद उन्नाव

दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के जेवरात बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा दो शातिर चोरों को चोरी की एक जोड़ी पायल, 660 रु0 व एक हाफ पेटी सफेद धातु बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 20.07.2021 को उ0नि0 सतेन्द्र कुमार दिवाकर मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 275/21 धारा 380/411 भा0दं0वि0 से संबन्धित अभियुक्तगणों 1. धर्मेन्द्र राजपूत उर्फ भूरा पुत्र खिलाड़ी राजपूत उम्र करीब 26 वर्ष नि0 निन्देमऊ कटरा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव 2. गुड्डू राजपूत पुत्र सुन्दर राजपूत नि0 मुरादपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष को एक जोड़ी पायल, 660 रू०, एक हाफ पेटी सफेद धातु बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

- 1. धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र खिलाड़ी राजपूत नि0 निन्देमऊ कटरा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव
- 2. गुड्डू राजपूत पुत्र सुन्दर राजपूत नि0 मुरादपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरणः-

- 1. एक जोड़ी पायल
- 2. 660 হ0
- 3. एक हाफ पेटी सफेद धातू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार दिवाकर
- 2. हे0का0 सौरभ मिश्रा
- 3. हे0का0 विजय सिंह



<u>प्रेस नोट दिनांक 20.07.2021</u> थाना मांखी, जनपद उन्नाव

अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ दो गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांखी पुलिस द्वारा दो अभियुक्ताओं को 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर 02 कुंतल लहन नष्ट किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 20.07.2021 को उ0नि0 कमल दुबे मय हमराह फोर्स द्वारा अभियुक्ता 1. नीतू पत्नी राजन नि0ग्राम नटपुरवा मजरा शाहपुर थाना माखी जनपद उन्नाव 2. गोलू पत्नी मोनू नि0ग्राम नटपुरवा मजरा शाहपुर थाना माखी जनपद उन्नाव को नटपुरवा से भदेमू रोड पर करीब 100 मीटर आगे बबूल की झाडियो मे अवैध कच्ची शराब बनाते हुए एक अदद शराब बनाने की भट्टी व 02 प्लास्टिक की पिपियों में 10-10 लीटर देशी नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके पर 02 कुन्तल लहन नष्ट किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 232/21 धारा 60(2) EX ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

- 1. नीतू पत्नी राजन नि0ग्राम नटपुरवा मजरा शाहपुर थाना माखी जनपद उन्नाव
- 2. गोलू पत्नी मोनू नि0ग्राम नटपुरवा मजरा शाहपुर थाना माखी जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरणः-

- 1. 20 लीटर अवैध कच्ची शराब
- 2. एक अदद भट्टी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 कमल दुबे
- 2. का0 राहुल झा
- 3. का0 रवि भारती
- 4. का0 विशाल शर्मा
- 5. म0का० अर्चना सचान
- 6. म0का0 पूजा निराला